HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 2828/2026

Pradeep S/o Maharaj Singh, Aged About 22 Years, R/o Phule Ki Jhonpadi, Nayapura, Police Station Sadar Karauli, District Karauli (Raj.) (Presently Confined At District Jail, Karauli).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.P.

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Chandra Shekhar
For Respondent(s)	:	Mr. Sudesh Saini. P.P. Mr. Rohit Bhardwaj

---

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

19/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप** की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना करौली, जिला करौली में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–328/2025, अपराध अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 126 (2), 303(2), 119(2), 110, 111(2)(बी) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 13.01.2026 से अभिरक्षा में है। उनका यह भी तर्क है कि घटना की रिपोर्ट में जो घटना दिनांक 15.10.2025 को होनी बतायी गयी है, उसमें जिन अभियुक्तगण का नाम बताया गया है, उसमें प्रार्थी/अभियुक्त का नाम नहीं है। दिनांक 24.10.2025 को घटना कारित करने में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम बताया गया है, लेकिन उसने मजरूब दर्शन सिंह को चोट पहुंचाई हो, इस तथ्य का

उल्लेख नहीं आया है। प्रार्थी/अभियुक्त से कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा इसका विरोध कर कथन किया गया कि प्रकरण में अभी आरोप पत्र लंबित है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर गिरोह बनाकर मजरूब दर्शन सिंह के साथ मारपीट कर, एक लाख रूपए एवं गले से सोने की चैन तोड़कर ले गये। अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है, अतः आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर अन्य अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी के साथ मारपीट किए जाने का आरोप घटना की रिपोर्ट में अंकित है। प्रार्थी/अभियुक्त ने ही परिवादी के कोई चोट पहुंचाई हो, इस तथ्य का उल्लेख न तो घटना की रिपोर्ट में किया गया है, और न ही मजरूब दर्शन सिंह ने अपने धारा 180 बी0एन0एस0एस0 के बयानों में यह कहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मजरूब दर्शन सिंह के किसी प्रकार की कोई चोट प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा ही कारित की गई हो, यह स्पष्ट नहीं हुआ है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों एवं प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **प्रदीप पुत्र श्री महाराज सिंह** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय या अंतरिती न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र तथा पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर प्रमाणित करावें तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANOJ ADWANI /58